

विषय सूची

| विषय | संदर्भ | |
|-------------|-------------|---------------|
| | कंडिका क्र. | पृष्ठ क्रमांक |
| प्राक्कथन | | vii |
| विहंगावलोकन | | ix |

भाग—1

अध्याय 1— परिचय

| | | |
|--|-----|---|
| इस प्रतिवेदन के विषय में | 1.1 | 1 |
| विभागों के व्यय की रूपरेखा | 1.2 | 1 |
| प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय | 1.3 | 4 |
| लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार | 1.4 | 4 |
| नियोजन एवं लेखापरीक्षा का संचालन | 1.5 | 4 |
| लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया | 1.6 | 6 |
| आभार | 1.7 | 9 |

अध्याय 2— सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की अनुपालन लेखापरीक्षा

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

| | | |
|---|-----|----|
| महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण का प्रबंधन | 2.1 | 13 |
|---|-----|----|

समाज कल्याण विभाग

| | | |
|--|-----|----|
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का कार्यान्वयन | 2.2 | 24 |
|--|-----|----|

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग

| | | |
|---|-----|----|
| कार्यों में उपयोग किये गये गौण खनिजों के रॉयलटी प्रभारों की कटौती | 2.3 | 39 |
|---|-----|----|

जल संसाधन विभाग

| | | |
|--|-----|----|
| मानक विशिष्टियों (भारतीय मानक—456:2000) के अनुसार सीमेंट कंक्रीट कार्यों का निष्पादन | 2.4 | 48 |
|--|-----|----|

भाग –2

| | | |
|--|-----|----|
| अध्याय 3— सामान्य | | |
| प्रस्तावना | 3.1 | 65 |
| राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति | 3.2 | 65 |
| लेखापरीक्षा प्राधिकार | 3.3 | 72 |
| लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन | 3.4 | 72 |
| बकाया राजस्व का विश्लेषण | 3.5 | 74 |
| लेखापरीक्षा के प्रति शासन / विभागों की प्रतिक्रिया | 3.6 | 75 |
| लेखापरीक्षा परिणाम | 3.7 | 76 |

अध्याय 4— राजस्व क्षेत्र की अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्यिक कर— जीएसटी विभाग

| | | |
|---|-----|-----|
| वस्तु एवं सेवा कर के संक्रमणकालीन क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा | 4.1 | 78 |
| वस्तु एवं सेवा कर के प्रतिदाय पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा | 4.2 | 90 |
| वाणिज्यिक कर विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा | 4.3 | 112 |

भाग –3

अध्याय 5— सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| ब्याज से आय की हानि | 5.1 | 121 |
|---------------------|-----|-----|

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

| | | |
|---|-----|-----|
| देयकों को पारित करने में समुचित सावधानी का अभाव | 5.2 | 122 |
|---|-----|-----|

परिशिष्ट

| परिशिष्ट क्रमांक | विषय | संदर्भ कंडिका क्र. | पृष्ठ क्रमांक |
|---------------------|---|-----------------------|---------------|
| (भाग-1) | | | |
| 1.1 | लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र) | 1.6.1 | 125 |
| 1.2 | लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं का विभागवार विवरण (पीएसयू) | 1.6.1 | 126 |
| 2.1.1 | चयनित जिलों की सूची | 2.1.9 | 127 |
| 2.2.1 | विभिन्न जिलों में डीबीटी भुगतान में देरी की सीमा | 2.2.7.2 | 128 |
| 2.3.1 | ठेकेदारों से रॉयल्टी चुकता प्रमाणपत्र (आरसीसी) प्राप्त किये बिना अंतिमीकरण किये गये अनुबंधों की सूची | 2.3.6.2 | 134 |
| 2.3.2 | ठेकेदारों से रॉयल्टी चुकता प्रमाणपत्र (आरसीसी) प्राप्त किये बिना अंतिमीकरण किये गये अनुबंधों की सूची | 2.3.6.2 | 144 |
| 2.3.3 | बाजार दर विलंब से जारी करने के कारण खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली न होने का विवरण | 2.3.6.3(i) | 146 |
| 2.3.4 | जिला कलेक्टरों के बाजार दरों पर आदेशों के बावजूद बाजार मूल्यों की वसूली न होने का विवरण (लोक निर्माण विभाग) | 2.3.6.3(ii) | 150 |
| 2.3.5 | जिला कलेक्टरों के बाजार दरों पर आदेशों के बावजूद खनिजों के बाजार मूल्य की वसूली न होने का विवरण (जल संसाधन विभाग) | 2.3.6.3(ii) | 156 |
| 2.3.6 | रॉयल्टी राशि को खनिज विभाग के खाते में प्रेषित नहीं करते हुए जमा शीर्ष के अंतर्गत रखे जाने का विवरण | 2.3.6.4 | 158 |
| 2.4.1 | निम्न ग्रेड कंक्रीट के साथ कार्य के पीसीसी और आरसीसी आइटम के निष्पादन का विवरण | 2.4.8.2(i) | 165 |
| 2.4.2 | आईएस 456:2000 में निर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में क्यूब परीक्षण किए जाने का विवरण | 2.4.8.2(ii) | 167 |

| | | | |
|-------|--|--------------|-----|
| 2.4.3 | कंक्रीट कार्य के निष्पादन में स्टैंडर्ड कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता का गैर-अनुपालन दर्शाने वाला विवरण | 2.4.8.2(iii) | 170 |
| 2.4.4 | डिजाइन मिक्स के स्थान पर नॉमिनल मिक्स से आरसीसी एवं पीसीसी कार्य के निष्पादन के कारण निम्न विशिष्टियों वाले कार्य की स्वीकृति दर्शाने वाला विवरण | 2.4.8.2(iv) | 172 |
| 2.4.5 | क्षतिग्रस्त कंक्रीट संरचनाओं का विवरण | 2.4.8.2(v) | 173 |

(भाग-2)

| | | | |
|--------|---|--------------|-----|
| 4.1.1 | ऐसे व्यवसायियों का विवरण जिन्होंने त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं किया या ट्रान-1 दाखिल करने के बाद विवरणी जमा किया लेकिन एसजीएसटी संक्रमणकालीन क्रेडिट को अग्रेनित किया | 4.1.9.2(i) | 175 |
| 4.1.2 | ऐसे व्यवसायियों का विवरण जिन्होंने आईटीआर से अधिक एसजीएसटी संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया, जैसा कि वैट विवरणी में अग्रेनित किया गया, को दर्शाने वाला पत्रक | 4.1.9.2(ii) | 179 |
| 4.1.3 | लंबित फॉर्म-सी पर अंतर कर के भुगतान किये बिना ट्रान-1 की तालिका 5(ग) के तहत दावा किए गए अधिक संक्रमणकालीन क्रेडिट को दर्शाने वाला विवरण | 4.1.9.2(iii) | 185 |
| 4.1.4 | ऐसे व्यवसायियों का विवरण दर्शाने वाला पत्रक जिन्होंने समर्थित बीजक के बिना ट्रान-1 की तालिका 7(ग) के तहत इनपुट स्टॉक पर अयोग्य संक्रमणकालीन क्रेडिट का दावा किया | 4.1.9.2(iv) | 187 |
| 4.1.5 | संक्रमणकालीन क्रेडिट की अधिक दावा की वापसी पर ब्याज का भुगतान न किये जाने को दर्शाने वाला पत्रक | 4.1.9.2(v) | 188 |
| 4.1.6 | स्टॉक के संक्रमणकालीन क्रेडिट की अनियमित प्राप्ति दर्शाने वाला पत्रक | 4.1.9.2(vi) | 188 |
| 4.1.7 | तालिका 6(ख), 7(ख), 7(ग), 10(क) और 11 के तहत दावा किए गए संक्रमणकालीन क्रेडिट से संबंधित अप्रस्तुत अभिलेखों को दर्शाने वाला पत्रक | 4.1.9.2(vii) | 189 |
| 4.2.1ए | आवेदनों की पावती जारी करने में विलंब-प्री-ऑटोमेशन | 4.2.9.1(i) | 191 |

| | | | |
|---------|---|--------------|-----|
| 4.2.1बी | आवेदनों की पावती जारी करने में विलंब— पोस्ट—ऑटोमेशन | 4.2.9.1(i) | 194 |
| 4.2.2ए | प्रतिदाय आदेश जारी करने में विलंब— प्री—ऑटोमेशन | 4.2.9.1(ii) | 195 |
| 4.2.2बी | प्रतिदाय आदेश जारी करने में विलंब— पोस्ट—ऑटोमेशन | 4.2.9.1(ii) | 197 |
| 4.2.3 | प्रतिपक्षी कर प्राधिकरण को प्रतिदाय आदेश संप्रेषित करने में असामान्य विलंब— प्री—ऑटोमेशन | 4.2.9.1(iii) | 198 |
| 4.2.4 | कॉमन पोर्टल के माध्यम से पावती/कमी की प्राप्ति नहीं किया जाना—प्री—ऑटोमोशन | 4.2.9.7 | 199 |
| 4.2.5 | अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना—प्री— ऑटोमेशन | 4.2.9.10 | 200 |
| 4.2.6 | प्रतिदाय के प्रकरण जिनमें प्रतिदाय के आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किये गये | 4.2.9.10 | 201 |
| 4.3.1 | मूल्य संवर्धित कर के निम्न दर का आरोपण | 4.3.7.1 | 204 |
| 4.3.2 | प्रवेश कर के गलत दर का आरोपण | 4.3.7.2 | 207 |
| 4.3.3 | घोषणा फॉर्म 'सी' प्रस्तुत किये बिना ही कर की रियायती दर | 4.3.7.3 | 212 |
| 4.3.4 | वैधानिक फॉर्म 'ई-1/सी' प्रस्तुत किये बिना कर से छूट | 4.3.7.4 | 214 |
| 4.3.5 | वैधानिक फॉर्म 'एफ' प्रस्तुत किये बिना कर से छूट | 4.3.7.5 | 215 |

(भाग-3)

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| 5.1 | एक्सेस बैंक के चालू खाते में रखे न्यूनतम शेष एवं उस पर ब्याज की हानि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 5.1 | 217 |
| 5.2 | मेसर्स एफईईएल के संबंध में 04.07.2017 से 13.08.2019 तक के देयकों का जीएसटी सहित विवरण | 5.2 | 221 |